न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी नन्द किशोर राजोरा)

आर.ए.एस

प्रकरण सं. / वाद पत्र / एल.आर. / 12 / 2019

1. मंदिर श्री माताजी धनोप जरिए पुजारी मिश्रीलाल पुत्र श्री उदयलाल उम्र करीब 65 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धनोप तहसील फुलियांकलां जिला भीलवाड़ा

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील अपीलाण्ट श्री भंवरलाल शर्मा, सुनील शर्मा

निर्णय दिनांक 27.02.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा खेडी के खसरा नं. 812 रकबा 0.24, 834 रकबा 0.15, 835 रकबा 0.20 किता 3 रकबा 0.59 किस्म नहरी-1 जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थना पत्र पेरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा खेडी के खसरा नं. 812 रकबा 0.24, 834 रकबा 0.15, 835 रकबा 0.20 किता 3 रकबा 0.59 किस्म नहरी-1 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक- देवलियांकलां को 1,500/--रूपये (अक्षरे- एक हजार पॉच सौ रु0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बावत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भिनाय जिला अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.24 17:41:06 IST
Reason: SelfAttested